No. 1/Estt(G-3)/2023(Cir)- 512
INTELLIGENCE BUREAU
(Ministry of Home Affairs)
Government of India

New Delhi, the 07 FEB 2024

Circular Memorandum

आसूचना ब्यूरो/आप्रवासन ब्यूरो(गृह मंत्रालय) में 08 राजपत्रित रैंक (समूह क) में निम्नलिखित रिक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जानी हैं। शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं विशिष्ट पात्रता शर्तों के साथ प्रत्येक पद का विवरण अनुलग्नक-ए तथा प्रतिनियुक्ति पर आवेदन करने के लिए जीवन-वृत्त का प्रपत्र अनुलग्नक-बी में उपलब्ध है।

पद नाम	रिक्तियों कि संख्या	पद नाम	रिक्तियों कि संख्या
उप निदेशक/तकनीकी	02	उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी/कार्यकारी	106
अपर उप निदेशक/क्रिप्टो	01	उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी/तकनीकी	10
संयुक्तउप निदेशक/कार्यकारी	13	उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी/तकनीकी-बेतार	01
सहायक निदेशक/कायकारी	22	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	02
		कुल रिक्तियाँ = 157	

2. आवेदित पद के भर्ती नियमों के आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि कम से कम3, 4 या 5 वर्ष की होगी, जिसे अधिकतम सात वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है और प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी आसूचना ब्यूरो/आप्रवासन ब्यूरो में अपने सेवा काल के दौरान निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र होंगे:-

(क) मूल वेतन का 20 प्रतिशत विशेष सुरक्षा भत्ता देय होगा।

(ख) आसूचना ब्यूरो के अलावा आप्रवासन ब्यूरो में नियुक्ति होने पर प्रत्येक वर्ष 10,000 रूपये वर्दी भत्ता व ऊँचाई वाले स्थानों पर तैनाती होने पर एक बार वस्त्र भत्ता स्वीकार्य होगा।

(ग) दस दिनों के अवकाश नकदीकरण (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) सहित चार वर्षों के ब्लॉक में एक बार गृह नगर एवं एक बार भारत भ्रमण अवकाश यात्रा रियायत के पैकेज देय होंगे।

(घ) प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक बच्चे के लिए 27000 रूपये बाल शिक्षा भत्ता देय होगा। यदि बच्चा छात्रावास में ठहरता है तो प्रतिवर्ष 81000 रूपये की छात्रावास सहायता देय होगी।

(ड) ब्यूरो के किसी दुर्गम स्थान पर नियुक्ति होने पर नियमित भत्तों के अलावा राशन मनी, जोखिम भत्ता, द्वीप भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता आदि के रूप में अतिरिक्त भत्ते देय होंगे।

(च) कार्मिकों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

3. ऐसे इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदन, जिन्होंने पिछली प्रतिनियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि पूरी कर ली है तथा जो पहले एक से अधिक प्रतिनियुक्ति पर नहीं गये हों, निम्नलिखित दस्तावेज के साथ कृपया संयुक्त उप निदेशक/जी-3, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, 35 एसपी मार्ग, बापू धाम, नई दिल्ली-110021 को अग्रेषित किये जाएं:

(i) संबद्ध शैक्षिक प्रमाणपत्रों/प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ विधिवत भरे हुए तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित अनुलग्नक 'ख' के अनुसार जीवन-वृत्त उचित माध्यम द्वारा अग्रेषित किया जाए।

(ii) पिछले पांच वर्षों के अद्यतन एसीआर की सत्यापित प्रतियां।

(iii) आवेदन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के ऊपर विगत 10 वर्षों के दौरान लगाई गई छोटी/बड़ी शास्तियों (यदि कोई हो) के विवरण सहित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित विजिलेंस क्लीयरेंस और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।

4. स्पष्ट किया जाता है कि हर तरह से परिपूर्ण तथा उचित माध्यम से प्रेषित आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। उचित माध्यमों से प्राप्त न होने वाले आवेदनों, उचित माध्यम को नजरअंदाज करके अथवा एडवांस प्रति रूप में अथवा समापन तिथि के बाद अथवा उपर्युक्त पैरा-3 में निर्दिष्ट संलग्नकों में से सभी या एक भी संलग्नक के बिना अथवा अन्य किसी भी रूप में अधूरे प्रेषित आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया जाएगा तथा न ही किए गए पत्राचार पर कोई जवाब दिया जाएगा। परिचालित किए गए निम्नलिखित सभी पदों

पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरे भारत में कहीं भी स्थानांतरित/नियुक्त किया जा सकता है। इन पदों के लिए चयनित कोई अधिकारी/कर्मचारी शुरूआती आदेश के अनुसार सुनिश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहेगा, जिसे सेवाओं की अनिवार्यता के आधार पर घटाया/बढ़ाया जा सकता है। आयुसीमा की निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख, रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से अगले दिन तक होगी। कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें आमेलन अथवा सेवा के स्थायी रूप से स्थानांतरण का प्रावधान है, जिस पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की मेरिट तथा उपयोगिता के अनुसार विचार किया जाएगा। आमेलन के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा। आवेदन अग्रेषित करने से पहले नियंत्रक प्राधिकारी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक, परिपत्र में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

5. चयनित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की अवधि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा गृहमंत्रालय के लागू दिशा निर्देशों, मुख्यत: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.10.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. AB/14017/71/89-Estt.(RR), दिनांक 17.10.2010 के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-Estt(Pay II) तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 22.10.2016 के का.ज्ञा. सं. 1/21022/03/2016-Pers-II(समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार शासित होगी।

6. प्रतिनियुक्ति हेतु सामान्य नियम और शर्तें, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों, जैसा कि ऊपर वर्णित है, के साथ पठित होंगी।

06/2/2024

(अभिजीत दास)

संयुक्त उप निदेशक